संख्या- 132 / 2026 /2716/26-3-2026- 2034097

प्रेषक,

अनुराग यादव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

समाज कल्याण अनुभाग-3, लखनऊः दिनांकः 09 अक्टूबर 2026

विषयः मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा जनहित याचिका संख्या-309/2026 (धनगर समाज उत्थान समिति बनाम उ.प्र. राज्य व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 10.08.2026 के अनुपालन में शासनादेश संख्या-192/2025/2071/26-3-2025-1862089 दिनांक 26.12.2025 के प्रस्तर-5 द्वारा गठित जनपदीय सतर्कता प्रकोष्ठ की संरचना पर पुनर्विचार एवं संशोधन।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या-192/2025/2071/26-3-2025-1862089 दिनांक 26.12.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। उक्त शासनादेश में वर्णित सतर्कता प्रकोष्ठ के सदस्यों के विषय में दाखिल पी0आई0एल0 संख्या-309/2026 में मा. उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 10.08.2026 द्वारा निम्नवत निर्देशित किया है:

"***the authorities need to revisit the constitution of the Vigilance Cell in light of Para 5 of the judgment in Kumari Madhuri Patil (supra), which observations have been reiterated in Dayaram Vs. Sudhir Batham and others : (2012) 1 SCC 333***".

2. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उक्त निदेश के समादर में तदनुसार सम्यक रूप से पुनर्विचार कर उपरोक्त निर्गत शासनादेश संख्या-192/2025/2071/26-3-2025-1862089 दिनांक 26.12.2025 को निम्नवत संशोधित किया किया जाता है :-

(i) जाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अधिकृत सक्षम प्राधिकारी के किसी निर्णय अथवा उक्त जाति प्रमाण पत्र के वैधता सत्यापन के विषय में निर्णय का अधिकार शासनादेश संख्या-685/26-3-2011 दिनांक 28.02.2011 द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय समिति का होगा।

शासनादेश दिनांक 26.12.2025 में गठित जनपदीय सतर्कता प्रकोष्ठ के पुलिस उपाधीक्षक अथवा प्रकोष्ठ में सम्मिलित तहसीलदार स्वस्तर से जाति सत्यापन सम्बन्धी कोई अन्तिम

abhi

निर्णय या आदेश पारित नहीं करेंगे, बल्कि सतर्कता प्रकोष्ठ का दायित्व जांच आख्या समिति को उपलब्ध कराने तक ही सीमित होगा व जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति का दायित्व होगा कि सतर्कता प्रकोष्ठ की आख्या को स्वीकार, अस्वीकार अथवा पूरक जाँच हेतु वापस कर सकेगी और प्रत्येक प्रकरण में समिति स्वतंत्र विवेक से सकारण आदेश पारित करेगी।

(ii) जनपदीय सतर्कता प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों द्वारा निम्नवत कार्य अपेक्षा है :

क्रम	पदाधिकारी	भूमिका
1.	पुलिस उपाधीक्षक	सतर्कता जाँच से सम्बंधित अन्वेषण जो कि निवास एवं मूल निवास स्थान पर क्षेत्रीय जाँच, बयान एवं अभिलेख संकलन के साथ यथावश्यक साक्ष्य एकत्रित करने की कार्यवाही करना।
2.	समाज कल्याण अधिकारी (विकास) / पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी (अन्य पिछड़ा वर्ग प्रकरणों में)	अनुसूची/सूची प्रविष्टियाँ, जाति के अधिसूचित होने के विषय में निर्गत अद्यतन निर्देश/आदेशों को यथा आवश्यकता प्रकोष्ठ को उपलब्ध कराने संबंधी बिन्दुओं पर सहायता।
3.	सम्बन्धित तहसील के तहसीलदार	राजस्व अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियाँ एवं निर्गत पूर्व प्रमाण-पत्र पत्रावलियाँ उपलब्ध कराना।
उक्त कार्य एवं दायित्व महज संकेतात्मक हैं और सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा जिलाधिकारी कि अध्यक्षता में गठित सत्यापन समिति द्वारा संदर्भित प्रकरणों में यथा आवश्यकता भली भांति तथ्यात्मक जाँच आख्या तैयार करने हेतु सम्यक रूप से कार्यवाही की जाएगी।		

(iii) **यथावश्यकता विशेष प्रकरणों में सम्बन्धित तहसीलदार का प्रतिस्थानी**: सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा की गयी जाँच को किसी भी संदेह से परे होने के लिए यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिन प्रकरणों में सम्बन्धित तहसीलदार ने विचाराधीन प्रमाण-पत्र स्वयं जारी, अस्वीकार या संस्तुत किया हो, वहाँ वह उस प्रकरण में वह सतर्कता प्रकोष्ठ का सदस्य नहीं होगा और जिलाधिकारी द्वारा जनपद की अन्य तहसील/किसी अन्य तहसीलदार को उक्त प्रकरण हेतु सतर्कता प्रकोष्ठ के सदस्य के रूप में नामित किया जायेगा।

(iv) समिति प्रत्येक प्रकरण को संदर्भित करते समय पत्रावली पर अंकित करेगी कि वह (क) पहले से जारी प्रमाण-पत्र के वैधता-सत्यापन का है, अथवा (ख) प्रमाण-पत्र के निर्गमन/अस्वीकृति से सम्बन्धित है। सतर्कता प्रकोष्ठ को इसी के अनुरूप जाँच-बिन्दु दिए जाएँगे।

(v) **सतर्कता आख्या**- प्रकोष्ठ द्वारा आख्या तथ्यात्मक होगी, जिसमें मुख्य रूप से निवास एवं मूल निवास का विवरण; पिता/पूर्वजों के शैक्षणिक/विद्यालय के अभिलेखों एवं राजस्व अभिलेख; साक्षियों के बयान;मान्यताओं/ एवं सांस्कृतिक पद्धति, देवता, रीति-रिवाज, विवाह एवं मृत्यु-संस्कार तथा अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर आधारित होगी। आख्या में किसी श्रेणी का प्रमाण-पत्र जारी करने की संस्तुति न हो कर तथ्यों और सत्यता आधारित रिपोर्ट को जिलाधिकारी कि अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय समिति को प्रस्तुत किया

abhi

जायेगा जो उक्त आख्या के आधार पर नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए निर्णय /आदेश पारित करेगी |

(vi) इस आदेश से पूर्व प्राप्त आख्याएँ अमान्य नहीं होंगी। किन्तु लम्बित प्रकरण में, जहाँ आख्या में वही तहसीलदार सम्मिलित थे जिनके द्वारा प्रमाण-पत्र जारी/अस्वीकार किया था और अभ्यर्थी ने आपत्ति की है, ऐसे प्रकरणों में समिति बिन्दु-2(iii) के अनुसार पूरक आख्या प्राप्त करेगी।

3. कृपया जिला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति द्वारा पारित निर्णयों के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं खण्डपीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-192/2025/2071/26-3-2025-1862089 दिनांक 26.12.2025 के साथ इस शासनादेश की व्यवस्था को संशोधन के रूप में पढ़ा जायेगा|

यह आदेश जनहित याचिका सं. 309/2026 में मा. उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश के अधीन रहेगा।

भवदीय

(अनुराग यादव)
प्रमुख सचिव।

पृ0सं0-132/2026/2716(1)/26-3-2026-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल उ0प्र0।
2. अपर मुख्य सचिव , मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0।
3. प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उ0प्र0शासन।
4. निदेशक, अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0लखनऊ।
5. रजिस्ट्रार जनरल, मा0उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
6. निबंधक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
7. मुख्य स्थाई अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
8. निदेशक, समाज कल्याण/जनजाति विकास/पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उ0प्र0लखनऊ।
9. सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज।
10. राज्य के समस्त उपक्रमों/निगमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/कार्यकारी अधिकारी।
11. निदेशक, एन0आई0सी0।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(चन्द्र कुमार मिश्र)
अनु सचिव।

abhi